

सुमन

(30 वां अंक वार्षिक पत्रिका 2023)





संदेश



ग क्षेत्र – स्थित तमिलनाडु राज्य में कार्यरत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे इस कार्यालय का श्रेय है – ई – गृह पत्रिका सुमन । सुमन के तीसवां अंक आपके समक्ष रखते हुए मुझे अति गौरव प्रतीत होता है । राजभाषा हिन्दी के संवैधानिक दायित्व को रचनात्मक रूप में पेश करने का प्रयास है – सुमन जो राजभाषा के प्रगतिपूर्ण प्रयाण की ओर सहयोग देती है ।

ऐसी सुमन के उत्तरोत्तर प्रयाण के लिए शुभाकामनाएं एवं इसको साकार बनाने में लगे सभी सहयोगियों को साधुवाद – जय हिन्द, जय भारता।

C. Nedumylin

संदेश



ई-पत्रिका के रूप में निकलती सुमन, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बाग का ऐसा फूल है जो राजभाषा की प्रगति में अपनी सुन्दर सहयोग देती है। हिन्दी राष्ट्र के साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास की कड़ी है। एक की अभिव्यक्तियों को दूसरों तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम भाषा एवं तद्वारा साहित्यिक रचनाएं हैं। मुझे विश्वास है इस भूमिका को निभाने में सुमन अपने आप में राजभाषा की प्रगति का अभिन्न अंग है। अतः सुमन के तीसरी प्रकाशन आपके सम्मुख रखने में मैं कृतार्थ हूँ।

आप सबको हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं।



हिंदी अधिकारी की लेखनी से



भाषा के तीन रूप माने जा सकते हैं - मौखिक, लिखित और सांकेतिक ।

मौखिक भाषा में यह पाबन्दी रहती है कि हमें सोच समझकर उसे उत्पन्न करना पड़ता है क्योंकि उड़ता-तीर वापिस न किया जा सके, इसलिए मौखिक भाषा का स्वतः स्फूर्त होना एवं सहज होना बहुत जरूरी है । मष्तिष्क की चुस्ती इसमें अपेक्षित है ।

लिखित भाषा को यह छुट मिलती है कि चाहे तो हम उसे और सुसंस्कृत बना सकते हैं । मिटाकर कितनी भी बार नवीकृत कर पाते हैं । इसलिए मौखिक की अपेक्षा इसमें सहूलियत ज्यादा है । लेकिन इसमें भाषा की गुणवत्ता की प्रत्याशा पढ़नेवाला जरूर रखता है ।

सांकेतिक भाषा का प्रयोग सीमित लोगों द्वारा (भाषाई पाबंदी में) सीमित समय/ मौके पर (मौन धारित जगहों पर) किया जाता है । इसमें इशारों के प्रयोग होने पर स्रोत और लक्ष्य के बीच प्राप्ति के प्रतिशत पर प्रश्न उठ सकता है । लेकिन सांकेतिक भाषा मुक्त है और प्रयोग से रूढ़ है ।

तो इन तीनों रूपों में सुसंस्कृत एवं सुरक्षित होने की दृष्टि से लिखित भाषा को उत्तम माना जा सकता है । किसी भाव या सोच को स्रोत से लक्ष्य तक पहुँचाने में सामर्थ्य का प्रतिशत यह ज्यादा रखती है । हिन्दी गृह पत्रिकाएं भी इसी बात के सहारे, अपनी चान्ना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हैं, हिन्दी माटी की बिंदी चमकती जगमगाती रहें

हिन्दी दिवस की शुभकानाएं ।

जय हिन्द! जय हिन्दी!!

पत्रिका परिवार

मार्ग दर्शक

श्री चि. नेडुन्चेलियन
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

परामर्शदाता

श्री अब्राहम जूदाह शेफास ए.
उप महालेखाकार (प्रशासन)

संयोजक

श्री आर. गिरि प्रसाद
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संपादक मंडल

सुश्री षिबी टी. मांजूरान, हिन्दी अधिकारी
श्रीमती एस. अभयाम्बाल, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
श्री पंकज शर्मा, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सुश्री श्वेता तिवारी, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

प्रत्याख्यान: इस गृहपत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में जितने विचार हैं वह केवल रचनाकारों के अपने भाव हैं। इसलिए उन्हें रचनात्मकता के दृष्टि से पढ़ने की कृपा करें। रचनाओं की मौलिकता का दायित्व भी रचनाकारों तक सिमित रहेगा।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	श्री/श्रीमती/कुमारी
1.	प्रतिभा पलायन की समस्या	हर्ष कुमार, लेखापरीक्षक
2.	फिल्म समीक्षा- लेकिन (1991)	लक्ष्मी नारायण प्रसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
3.	महिलाओं के विरुद्ध अपराध	हर्ष कुमार, लेखापरीक्षक
4.	वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा	हर्ष कुमार, लेखापरीक्षक
5.	देश-प्रेम	आशा रामकृष्णन, सहायक लेखापरीक्षक (से.नि.)
6.	लाइफटाइम अचिवमेंट अवार्ड की खुशी	आशा रामकृष्णन, सहायक लेखापरीक्षक (से.नि.)
7.	सपने सच होना	दीपा के.वी. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
8.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और इसका भविष्य	लक्ष्मी नारायण प्रसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
9.	डॉ. अब्दुल कलाम	अनिल कुमार, लेखापरीक्षक
10.	निर्वासित	श्वेता तिवारी, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
11.	पानी खत्म होने को है	श्वेता तिवारी, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
12.	स्वतंत्र भारत का 76वां वर्ष: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता	कुलदीप पपनै, लेखापरीक्षक
13.	लघु कथाएं	रवि कुमार-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
	1. राजशाही ठाँठ, 2. पहलवान और कंडक्टर, 2. गिद्ध और छोटी लड़की	
14.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	दिनेशचंद्र मीना, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
15.	मुझे चाँद चाहिए	लक्ष्मी नारायण प्रसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
16.	एक राष्ट्र एक चुनाव	दिनेशचंद्र मीना, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
कल्याण अनुभाग गतिविधियां : 2022-23		

पत्रिका का मनोनयन श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, व.लेप द्वारा किया गया

प्रतिभा पलायन की समस्या



श्री हर्ष कुमार
लेखापरीक्षक

प्रतिभा पलायन शब्द दो शब्दों प्रतिभा और पलायन से मिलकर बना है। प्रतिभा पलायन का अर्थ है डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार जैसी प्रतिभा सम्पन्न लोगों का अच्छी सेवाओं व सुविधाओं के कारण पलायन। 1950 के दशक में यह शब्द सामने आया। आजादी के बाद से ही भारत पलायन की इस समस्या का सामना करता रहा है। यहाँ के बड़े-बड़े और प्रतिभावान लोग बेहतर अवसरों की तलाश तथा उच्च सेवा के लिए पश्चिम के देशों में जा बसे हैं।

दुनियाभर के सभी देशों में यदि भारतीय मूल के लोगों की गणना की जाए तो यह संख्या ढाई करोड़ से तीन करोड़ तक पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर लोग डॉक्टर, पायलट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं वैज्ञानिक हैं।

पिछले कुछ सालों में यह स्थिति गंभीर रूप लेती जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारे युवा विदेशों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। शुरुआती दौर में तो यह फैशन के रूप में सामने आया, किंतु अब यह कैसर का रूप ले रहा है। आज हमारे देश की युवा आबादी विदेशों की ओर पलायन कर रही है। यू.एन.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवा पलायन कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों युवा विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं? क्यों अभी भी देश वो आधारभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण हमारे युवा देश के बाहर जा रहे हैं।

प्रतिभा पलायन के कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी की विकट समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। सौ रिक्त पदों के लिए लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। यदि कोई नियुक्ति आती है तो उसे भरने में पाँच या छः वर्षों का वक्त बीत जाता है। हर सरकारी नियुक्ति में न्यायालयों का रूख किया जा रहा है। स्नातक व पी.एच.डी. धारक भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। विदेशों में एक पी.एच.डी धारक को अच्छी नौकरी मिल जाती है। हमारे यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। कृषि कार्य में लगे लोग सिर्फ छः महिने तक कार्यरत रहते हैं और फिर लगभग छः महिने खाली रहते हैं।

हमारी शिक्षा व्यवस्था मेकॉले की प्रणाली को ही अनुसरित कर रही है। मेकॉले की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ सस्ते बाबू पैदा करना था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम आज भी उसी शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते हुए बहुत सारे अयोग्य युवा उत्पन्न कर रहे हैं। कम वेतन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। विदेशों में एक सामान्य सी नौकरी में भी अच्छा वेतन प्राप्त होता है, इस कारण भी हमारे युवा वर्ग विदेशों में बसना पसंद कर रहे हैं। यह प्रतिभा पलायन का बहुत बड़ा कारण है। कोरोना के पश्चात् हमारे यहाँ नौकरियों में स्थायित्व नहीं रह गया। बहुत सारी छोटी-बड़ी कंपनियाँ युवाओं को नौकरियों से निकाल चुकी है। यह सारी बातें युवाओं के मनोबल पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं।

प्रतिभा पलायन की समस्या को दूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था ले आए। कक्षा 12 तक तो बच्चों के रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरुआत की जानी चाहिए। हमारे यहां बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में प्रथम सौ में भी नहीं आते। वेतन की वृद्धि बहुत ही जरूरी है जिसके कारण भी थोड़ा पलायन कम होगा। हमारे देश में शोध कार्यों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है इसलिए हमारे यहाँ के छात्र-छात्राएं विदेशों में शोध कार्य करने के लिए जाते हैं। शोध कार्य के लिए अच्छा माहौल प्रतिभा पलायन को कम करेगा। लघु और कुटीर उद्योगों में पर्याप्त संस्थान व संसाधन प्रदान कर हम प्रतिभा पलायन को और कम कर सकते हैं। इस तरह के उद्योगों की बढ़ोतरी कर हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भी उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल उठते रहे हैं तो दूसरी ओर पढ़ने के लिए छात्र बड़ी संख्या में विदेशों की रुख कर रहे हैं। जिसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यह स्थिति भारत के विकास के लिए बड़ी बाधा है। बिना प्रतिभाओं के कैसा विकास ? भारत में विभिन्न क्षेत्रों के प्रवीण, प्रतिभा सम्पन्न एवं विलक्षण क्षमता वाले व्यक्तियों की बड़ी तादाद है, जिनमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, साहित्य या कलाओं के विद्वान, चित्रकार, कलाकार, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, सी.ए. आदि। असाधारण पात्रता सम्पन्न लोगों को अपने देश की प्रगति और समृद्धि में योगदान करना चाहिए, जबकि वे विदेशों में रहकर अपनी प्रतिभा का लाभ उन देशों को पहुंचा रहे हैं।

कोई व्यक्ति विदेश तब जाता है जब उसके सामने कोई मजबूरी होती है जिसके कारण बाहर जाने में ही वह अपना भला समझता है। इन कारणों में देश में प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, कोटा सिस्टम, जटिल कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, योग्यता के स्थान पर आरक्षण को मान्यता और राजनीतिक स्तर पर भाई-भतीजावाद प्रमुख है। जब समृद्ध और विकसित देशों के प्रतिभाशाली युवा अपने देश की नीतियों के कारण भारत में नहीं बसते तो फिर भारतीय युवाओं को क्यों नहीं देश में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार अवसर देने की व्यवस्था की जा सकती है, इस पर चिंतन करना चाहिए। अपनी प्रतिभाएं अपने देश के काम आनी चाहिए। भारत में व्यापार करने की स्थितियाँ भी सहज एवं सरल होने की जगह जटिल होती जा रही है। छोटे व्यापारियों के लिए प्रशासनिक जटिलताएं भी कुछ कम नहीं हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण व्यापार अनेक संकटों से घिरा है।

भारत से पलायन कर अमेरिका जाने वाले 44 प्रतिशत भारतीय बाद में वहां की नागरिकता हासिल कर वहीं बस जाते हैं। कनाडा और आस्ट्रेलिया जाने वाले 33 प्रतिशत भारतीय भी ऐसा ही करते हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सिंगापुर आदि देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, जिनसे 37 लाख लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक हैं। हालांकि इन्हें वोट देने, देश में चुनाव लड़ने, कृषि संपत्ति खरीदने या सरकारी कार्यालयों में काम करने का अधिकार नहीं है। पढ़ाई, बेहतर करियर, आर्थिक सम्पन्नता और भविष्य को देखते हुए भारत से बड़ी संख्या में लोग विदेश का रुख करते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों में से करीब 80 प्रतिशत लोग वापस भारत नहीं लौटते हैं। करियर की संभावनाओं को देखते हुए और अच्छे अवसर मिलने के कारण वे विदेश में बस जाते हैं।

किसी भी देश का युवा उसकी सबसे अमूल्य धरोहर है। अगर, यह धरोहर ही पलायन करने लग जाए तो देश खोखला हो जाएगा। इस धरोहर को बचाने के लिए कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। उपरोक्त बताए गए सभी कारणों को जानकर सुधार करने की आवश्यकता दस्तक दे रही है।

फिल्म समीक्षा – लेकिन (1991)



श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

राजस्थान की तपती रेत की टीलों के नीचे कई लोक कथाएं सदियों से दफन हैं। उन्हीं कथाओं में से एक, फिल्म लेकिन की रहस्यात्मक कहानी मरूस्थान के भ्रमिक मृगतृष्णा की भांति कालचक्र के अंतर्द्वंद की गाथा सुनाती है।

1991 में फिल्माई गई 'लेकिन' एक ड्रामा फिल्म है जो प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी "शुदित पशान" से प्रेरित है। इसका निर्देशन चर्चित गीतकार एवं फिल्म निर्माता गुलज़ार ने किया है। कहानी के मुख्य कलाकार डिंपल कपाड़िया, विनोद खन्ना, अमजद खान, आलोक नाथ और हेमा मालिनी हैं।

अब हम संक्षेप में फिल्म की कहानी पर जमी रेत की परतें उठाते हैं। समीर नियोगी (विनोद खन्ना) पुरातत्व विभाग से जुड़ा एक सरकारी अफसर है। विभाग के आदेशानुसार वह राजस्थान के दीर्घकालीन महाराजा परम सिंह की परित्यक्त हवेली में वस्तुओं की सूची लेने के उद्देश्य से राजस्थान रवाना होता है। वहां उसकी मुलाकात उसके एक पुराने घनिष्ठ मित्र शफी (अमजद खान) से होती है। राजस्थान के जसीर गांव में समीर को अकसर नृजातीय वेष-भूषा में एक रहस्यमयी महिला, रेवा (डिंपल कपाड़िया) नज़र आती है जिसकी सुंदरता और कर्ण प्रिय आवाज उसे सम्मोहित कर देती है। हालांकि रेवा की अप्रत्याशित रूप से अकसर नज़र आना और संक्षिप्त संवाद के उपरांत पलक झपकते ही आखों से ओझल हो जाना समीर को विचलित करता रहता है। आधुनिक ख्यालों वाला समीर न चाह कर भी खुद को यथार्थ और कल्पना की धाराओं के मध्य पाता है। अंततः ऐड़ी चोटी का बल लगा कर वह रेवा की कहानी को जानने निकल पड़ता है जो दुर्भाग्यवश इतिहास और वर्तमान के बवंडर में फंसी एक क्षुब्ध साया है। वक्त की भेंट चढ़ गई रेवा की कहानी के कुछ बिखरे पल खुद रेवा की जुबानी सुनने को मिलती है, तो कुछ अंश हवेली की चारदिवारों को कुरेदने पर, जिसकी कालकोठरी में रेवा ने अपने किशोरावस्था के आठ साल बिता दिए थे। समीर से मुलाकात के दौरान रेवा बार-बार अपनी बहन तारा (हेमा मालिनी) का जिक्र करती है जो एक गायिका और नृत्यांगना थी तथा अपने कला के प्रदर्शन हेतु महाराजा परमवीर के महल में आई थी। उस्ताद मिराज अली, जो महाराजा का दरबारी था, अपनी शिष्या तारा को महाराजा के बुरे इरादों से अवगत कराता है जिसके उपरांत तारा ऊँट पर सवार होकर रेगिस्तान में ओझल हो जाती है। परमवीर सिंह इसका प्रतिशोध तारा के पिता पर निकालता है जिसे कोड़ियों से पीट-पीटकर अधमरे अवस्था में रेगिस्तान में छोड़ देता है, वहीं तारा की छोटी बहन रेवा और उस्ताद मिराज अली को असीमित काल के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। आठ साल के पश्चात मिराज अली अपने परिचित, मेहरू को कुरान का वासता देकर रेवा को भाग निकालने की योजना बनाता है। रेगिस्तान पार कराने के क्रम में जहां मेहरू महाराजा के सिपाहियों द्वारा गिरफ्त में ले लिया जाता है वही रेवा अनंत रेगिस्तान के रेतीली तुफान में फंस कर अपना प्राण त्याग देती है।

रेवा की आपबीती को जान समीर व्यथित और द्वित हो जाता है। उसका स्वास्थ्य पतझड़ में शुष्क पत्तों की भांति गिरने लगता है। बस एक ही मकसद बचा था कि कैसे भी रेवा के व्याकुल साये को मरुस्थल पार कराया जाए तथा उसके परिवार को खोज निकाला जाए।

क्या समीर रेवा के क्षुब्ध साये को रेगिस्तान पार करा पाता है या वह स्वयं समय के कालचक्र में समा जाता है? रेवा के जरिए क्या समीर खुद को तलाश रहा है, यह फिल्म इन्हीं दुविधाओं के चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास है।

लेकिन फिल्म सिनेमा के हर क्षेत्र में त्रुटिरहित गुणवत्ता का प्रमाण देती है, चाहे वो अभिनय हो, संगीत या फिर संवाद। अभिनय की बात की जाए तो डिंपल कपाड़िया ने रेवा के पात्र को जैसे जिया है। खासकर, उसकी भावरहित रहस्यमयी भूरी आंखें जिसकी पैनी नज़र दर्शकों को सम्मोहित कर देती है। उसकी अगाध आवाज में व्यथा साफ झलकती है। विनोद खन्ना ने समय के द्वंद में फंसे व्याकुल और जिज्ञासु समीर का किरदार बखूबी निभाया है। विज्ञान और अबूझ यथार्थ की असमंजसता को समीर के पात्र में महसूस किया जा सकता है। अमजद खान की उपस्थिति शुरूआती दृश्यों में कुछ हास्यपद क्षण लाती है हालांकि यह हल्की नोक झोंक बाद में गंभीर संवाद में तब्दील हो जाती है।

संवाद की बात की जाए तो सभी पात्रों के संवाद बेहद स्वाभाविक और धरातल से जुड़े हुए हैं, चाहे वह समीर और सफी की गुफ्तगु या वैज्ञानिक तर्क देकर समीर का उन्मुक्त शैली में उपने ही विश्वास को चुनौती देना।

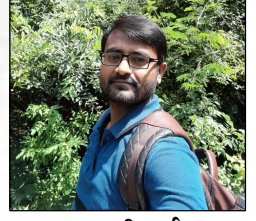
फिल्म की आत्मा इसकी कर्णप्रिय संगीत है जिसे हृदयनाथ मंगेशकर ने रचा है। तोड़ी एवं विहांगनी से सुसज्जित गानों को गुलजार ने अपनी कविताओं में पिरो कर अतुलनीय संरचना प्रस्तुत की है। फिल्म की मुख्य संगीतकार स्वर्गीय लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर हैं। राजस्थान की खुशबू में लिपटे गीत आज भी चर्चित हैं। 'यारा सिली सिली' गीत के लिए लता दीदी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाज़ा गया था।

फिल्म की एडिटिंग और अकादमी अवार्ड विजेता, भानु अथैया द्वारा कॉस्ट्यूम डिजाइन काबिले तारीफ है, हालांकि एकाध दृश्यों में सिनेमैटोग्राफी था छायांकन बेहतर हो सकते थे पर फिल्म के कम बजट के मद्देनज़र इस पहलु को अनदेखा किया जा सकता है।

फिल्म समीक्षकों ने "लेकिन" के पटकथा, संगीत और अभिनय की एक सुर में सराहना की। विभिन्न कलाओं का उत्कृष्ट नमूना होने के बावजूद 'लेकिन' रेवा की भांति समय की भेंट चढ़ रही है। ओ.टी.टी माध्यम पर उपलब्ध न होने के कारण यह बेहतरीन फिल्म दर्शकों के जेहन से ओझल होती जा रही है। कलात्मक और उत्कृष्ट सिनेमा की लालसा रखने वाले दर्शकों को राजस्थानी पृष्ठभूमि में गठित इस मार्मिक एवं रहस्यमयी फिल्म को एक बार अवश्य देखना चाहिए।



महिलाओं के विरुद्ध अपराध



श्री हर्ष कुमार
लेखापरीक्षक

किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि किसी देश की प्रगति का आकलन उस देश में महिलाओं की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत के संदर्भ में भी यह कथन अत्यंत विचारणीय है। यह दुःखद है कि भारत में महिलाओं के प्रति सम्मान की अनूठी परंपरा होने के बावजूद भारत में महिलाओं के प्रति अपराध दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महिला विरोधी क्रूर एवं अक्षम्य अपराध न सिर्फ भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व को झकझोर देने वाले हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए सारे प्रयास पुरुषवादी मानसिकता वाले इस समाज को पूरी तरह से जगा पाने में अक्षम ही रहे हैं।

भारत उन गिने-चुने राष्ट्रों में से एक है जहाँ की पुरातन संस्कृति में विदुषियों को आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। आज भी भारत में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके बावजूद समाज महिलाओं को समुचित स्थान दे पाने में नाकाम रहा है। यदि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आँकड़ों पर यकीन किया जाए तो हम पाएंगे कि महिला विरोधी अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अतः आवश्यक है कि हम उक्त में मौलिक कारणों का गंभीरतापूर्वक अन्वेषण करें।

महिला विरोधी अपराधों के कारणों में जहाँ एक ओर समाज की पुरुषवादी मानसिकता परिलक्षित होती है तो वहीं दूसरी ओर ऐसे अपराधों को गंभीरता से न लेने एवं छिपाने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अंत में ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार लोगों की संवेदनहीनता अपराधियों को भयमुक्त बना देती है। कई अनुसंधानों में यह देखने को मिला है कि भारतीय समाज में पश्चात्य मानसिकता का तेजी से प्रसार हुआ है। यह भी महिला विरोधी अपराधों का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आया है। जिसका परिणाम हमें कभी दिल्ली में दामिनी काण्ड के रूप में तो कभी जम्मू के कठुआ में हुई घटना के रूप में देखने को मिला है। देश में महिलाओं के विरुद्ध हुए आपराधों पर कठोर कानूनी नियंत्रण होने के बावजूद ऐसे मामलों में तेजी आने से यह स्पष्ट होता है कि अब हमें दो मुख्य बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रथम मौजूदा कानूनों के ठोस क्रियान्वयन के साथ-साथ कानूनों में उपस्थित कमियों को पाटना तथा द्वितीय समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए ठोस कदम उठाना। इस प्रयासों के बिना महिला विरोधी अपराधों को नियंत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव जान पड़ता है।

ऐसे अपराधों के मामले में कानून का कठोर क्रियान्वयन जहाँ समाज में उपस्थित ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोगों को कड़ा संदेश देगा तो वहीं पीड़ित महिला को न्याय देकर उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करेगा। समाज में महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टियों को परिवर्तित करने के लिए जहाँ व्यापक जनजागरण की आवश्यकता है तो वहीं महिलाओं को भौतिक वस्तु के रूप में प्रदर्शित करने वाले लोगों को नियंत्रित करने के भी उपाय किए जाने चाहिए।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश की आधी आबादी को पूर्ण स्थान एवं सुरक्षा दिए बिना हम विश्वगुरु बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं सामाजिक मूल्यों वाले देश में महिलाओं की दुर्गति देखना शर्मनाक है। अतः अब वह समय आ गया है कि हम सभी एक होकर महिला अपराधों से मुक्त भारत बनाने का संकल्प ले तथा तब तक चैन से न बैठे जब तक इस संकल्प को पूर्ण न कर लें, क्योंकि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।



वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा



श्री हर्ष कुमार
लेखापरीक्षक

वृद्धावस्था मानव जीवन का सबसे असुरक्षित अवस्था है, जब विभिन्न सुरक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। हालांकि विकसित देश विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण कर प्रौढ़ नागरिकों की देखभाल करते हैं, लेकिन विकासशील देशों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए उन्हें रुपये-पैसों, चिकित्सीय ध्यान और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह दुभाग्यपूर्ण है कि वर्तमान विश्व सामाजिक सुरक्षा के प्राचीन प्रतिरूप से बहुत तेजी से दूर होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत संयुक्त परिवार हुआ करते थे और वृद्धजनों का ध्यान रखा जाता था। वर्तमान में, भारत में वृद्धजनों में अकेले रहने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके बच्चे अपने काम के सिलसिले में दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हैं। इसलिए वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा हमारे समाज के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।

सरकार ने वृद्ध लोगों पर राष्ट्रीय नीति (एन पी. ओ. पी.), 1999 घोषित की है। यह नीति राज्यों को वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विकास में न्यायसंगत हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार से रक्षा और शोषण को रोकने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराने पर जोर देती है।

बाद में, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रख-रखाव और कल्याण अधिनियम वर्ष 2007 में पारित किया गया है। यह अधिनियम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और उनके जीवन-यापन के प्रावधान सुनिश्चित करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम में पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनकी संपत्ति तथा जान की सुरक्षा का उचित प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्ध नागरिकों के लिए 1992 में एकीकृत कार्यक्रम का एक केन्द्रीय योजना लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रम, भोजन चिकित्सीय देखभाल और मनोरंजन का सुअवसर उपलब्ध कराना और उत्पादक तथा सक्रिय जीवन का उत्साहवर्द्धन कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी, पंचायती राज संस्थानों, वृद्धाश्रमों, देखरेख इकाइयों, आश्रमों और अनवरत देख-भाल आश्रमों, बहु-सेवा केंद्रों, चल – चिकित्सा देखरेख इकाइयों, अल्जाइमर रोगियों/डिमेंशिया रोगियों के लिए डे केयर सेंटर्स, वृद्ध लोगो के लिए भौतिक चिकित्सा केंद्रों आदि को वित्तीय सहायता (जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 95 प्रतिशत और शेष राज्यों को 90 प्रतिशत) उपलब्ध करायी जाती है। यह कार्यक्रम मुख्यतः गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

इस दृष्टि को ध्यान में रखकर वृद्ध लोगों पर राष्ट्रीय नीति 1999 के समान राज्य का दायित्व, माता – पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल एवं कल्याण, 2007 के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धजनों के विविध स्वास्थ्य के देख-रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी एच सी ई) शुरू किया था। एन पी एच सी ई का मूल उद्देश्य राज्य जन स्वास्थ्य प्रदत्त सुविधा वाले प्राथमिक तंत्र द्वारा वृद्धजनों

को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम देश के 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 8 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों में चल रहा है। अब तक यह कार्यक्रम 93 सी एच सी-यों 4439 पी.एच.सी-ओं. और 28767 उपकेंद्रों में विस्तृत है।

अतः हम देख सकते हैं कि सरकार ने वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। किंतु भारत जैसे विशाल देश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए इन कार्यक्रमों के प्रसार पर प्रश्नचिह्न उठ सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि देश में कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रह सके।



देश – प्रेम



श्रीमती आशा रामकृष्णन (सेवानिवृत्त)

देश में रहने वाला हर इंसान अपने ही देश से प्रेम करता है, क्योंकि वह उसी देश में रह कर अपने प्राणों को सींचता है। अपनी जन्म-भूमि हमेशा महान होती है इसलिए यह कहा जाता है कि –“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” – अर्थात् माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान हैं।

जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिसकी रज़ में लोट-लोट कर बड़े होते हैं, जिसका अनाज खाकर हम शारीरिक दृष्टि से मजबूत बनते हैं, नदियों का पवित्र जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, शीतल-वायु से अपने प्राणों को नवजीवन प्रदान करते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं, उस देश की हर चीज़ से प्यार होना सहज स्वाभाविक है।

जो देशवासी अपने देश की उन्नति को देखकर खुश होता है, वही सच्चा देश-प्रेमी कहलाता है।

आज दुर्भाग्य यह है कि लोगों में देश-प्रेम की भावना घटती जा रही है। हमारे वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे इतिहास में अमर हो गए और दूसरों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर गए हैं। आज के बच्चे कल के नेता, अच्छे नागरिक बनेंगे। हमारे देश का नाम ऊँचा करेंगे।

संसार के अनेकों वीरों, महापुरुषों एवम् नेता-गणों ने जन्म लिया और वे अपने देश के लिए ही मर गए। उन्होंने स्वयं को अपने देश की सेवा में लगा दिया। वे सभी को देश प्रेम का संदेश दे गए।



लाइफटाइम अचिवमेंट अवर्ड की खुशी



श्रीमती आशा रामकृष्णन (सेवानिवृत्त)

11 अगस्त 2023 को मुझे हमारे कार्यालय के प्रशासन से यह खबर मिली कि मुझे लाइफटाइम अचिवमेंट पुरस्कार मिलने वाला है, तो यह सुनकर मैं खुशी से नाच उठी और मेरी आँखें भर आईं। 20 साल की उम्र में मैंने सरकारी सेवा में तैनात हुई थी। 26 दिसंबर, 1983 से 31 मई, 2023 तक अर्थात् 39 साल और 5 महीने का खट्टा-मीठा सफर मेरे लिए उम्रभर की एक यादगार पूंजी बन गई। इस लम्बे सफर में अभी तक मैंने पाँच अवार्ड प्राप्त किए। लेकिन उस दिन जब मुझे लाइफटाइम अवार्ड की सूचना मिली तो इसका आनंद बहुत ही खास था। यह मेरा भाग्य है कि मुझे यह पुरस्कार दिया गया।

15 अगस्त 2023 का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार पर पल बन गया, मेरे पास कहने को शब्द नहीं थे, मैं तन-मन से सभी को धन्यवाद किया जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए नामित किया।

मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं अपने दफ्तर के पहली बार घर से निकल रही थी और मेरे पिता जी ने कहा था – कि बेटी कार्यालय में खूब मन लगाकर खाम करना बड़ों का आदर करना, सभी दफ्तर में अच्छा नाम कमाना। ईश्वर की कृपा से वह दिन मेरे जीवन में आ ही गया। अगर आज मेरे पिता जी जीवित होते तो बहुत खुश होते। कहते – बेटी मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी आशाएं पूरी कर दी।

मैंने हर कदम पर पूरे लग्न से पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया है, अपना काम किया है। आज मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे कार्यालय की ओर से मुझे यह सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। यह मेरे लिए गर्व और अत्यंत खुशी का पल था।



सपने सच होना



सुश्री दीपा के. वी.

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

ये मेरी कहानी है, मेरी दस साल की प्रतीक्षा की कहानी। विश्व फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का अंतिम दिन और उसी दिन मेरी भी एक परीक्षा थी, एस.ए.एस परीक्षा, मेरा एक विषय बचा हुआ था, मैं अकेली बैठ कर तैयारी कर रही थी। मुझे भी खेल देखने का मन कर रहा था। क्या करूँ? परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने टेलिविज़न रिचार्ज नहीं किया था। तुरंत मेरे मन में ऐसा विचार आया कि “अगर अर्जेन्टीना जीतेगी तो, तू भी जीतेगी” (हम केरल वालों को अर्जेन्टीना बहुत पसंद था, इसलिए- ‘अर्जेन्टीना’)। तैयारी के बीच में मैंने मोबाइल फोन पर लाइव गोल स्कोर देखना शुरू किया, हर मिनट में खेल बदल रहा था। सभी लोग अर्जेन्टीना की जीत में संदेह प्रकट कर रहे थे। हर समय मेरे विचार में अर्जेन्टीना का ख्याल आ रहा था “अगर अर्जेन्टीना जीतेगी तो तू भी जीतेगी”- मन बोल रहा था। बहुत रात हो गई थी। घर से फोन आया, अम्मा ने कहा, “कल परीक्षा है, अच्छे से सो जाओ वरना परीक्षा में अच्छी तरह नहीं लिख पाओगी”। मुझे नींद कैसे आती? बिल्कुल नहीं। अर्जेन्टीना की जीत! मेरी जीत! समय बारह बजे – परीक्षा का दिन आ चुका है (19 दिसंबर 2022)। मैं बहुत परेशान थी अचानक घर से, दोस्तों से फोन आया, सभी ने एक साथ बोला, फोन में संदेश आने लगे, यह – “अर्जेन्टीना की जीत” थी। बाहर दीपावली जैसे पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे एक नई आशा मिली – “मैं भी जीतूंगी”। मैं भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के सपने के साथ सो गई।

अगली सुबह परीक्षा केंद्र बहुत दूर था। वहाँ जाने के लिए रास्ते में दो बस बदलना था। रास्ते में मैंने ऑनलाइन समाचार देखा, मेरी नज़र एक शीर्षक पर पड़ी, शीर्षक ऐसा था की “मेस्सी ने बताया कि मैच के बीच में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान उसे अंतिम विजय देंगे”। मेरा आत्मविश्वास कुछ और बढ़ा। जहाँ मैं एक तरफ बहुत परेशान थी वहीं दूसरी तरफ काफी खुश भी थी।

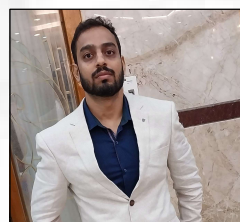
परीक्षा कक्ष में सभी ने पूछना शुरू किया- “क्या इस बार जीतोगी? क्या अफसर बनोगी इस बार? एक ही विषय? पिछले बार क्या हुआ? इस बार मेरी हालत क्या होगी? मैंने भगवान पर, मेस्सी के बातों पर, अर्जेन्टीना की जीत पर भरोसा रखा।

परीक्षा शुरू होने का वक्त आया। मेरी कंप्यूटर में कुछ लॉग इन की समस्या आई। दो-तीन मिनट में समस्या ठीक हो गई। “सब कुछ थम गया और मैंने परीक्षा पर ध्यान देना शुरू किया और लिखने लगी। बीच में मुझे भी ऐसा लगा कि “भगवान इसी वक्त मुझे जीता देने के लिए तैयार है”। मैंने अच्छी तरह लिखा।

दो महीने बाद 27 फरवरी को परीक्षा का परिणाम आया – मैं जीत गई! मेरा सपना सच हुआ। पदोन्नति के लिए तीन महीने और देर हुई। मैं परेशान होने लगी, क्योंकि सभी लोग पूछते थे कि “पदोन्नति में क्यों देर हो रही है? मुझे क्या मालूम है? तीन महीने पंद्रह दिन चले गए। “जून पंद्रह”- मुझे उस दिन पदोन्नति मिली।

अब मैं अफसर बन गई हूँ, जिस विभाग में मैंने काम किया उसी विभाग में तैनाती मिली। मेरा जो एक सपना था वो आज पूरा हो गया। “अपने सपनों पर भरोसा करें सपने सच होते हैं।”।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और इसका भविष्य



श्री. लक्ष्मीनारायण प्रसाद

वरिष्ठ लेखापरीक्षक

मानव सभ्यता, तकनीकी प्रगति के दौर में कई चरणों से गुजरा है। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वर्तमान में इन तकनीकियों में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) की चर्चा काफी आम बात है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) वह तकनीकी क्षेत्र है जिसमें मशीनों को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान की जाती है। ए.आई. के विकास ने हमारे जीवन को बदल दिया है। वर्तमान में, हम ए.आई. का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे कि व्यापार, संचार, विज्ञान, चिकित्सा आदि। खासकर व्यापार और वित्तीय सेवाओं में ए.आई. का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। उदाहरण के लिए, आपने शायद ऑनलाइन वित्तीय सलाहकार के रूप में कोई ए.आई. परिचालित चैटबॉट का इस्तेमाल किया होगा। यह चैटबॉट आपको वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए आपके सवालों का जबाब देता है और आपकी आवश्यकताओं के आधार पर निवेश सुझाव प्रदान करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी हो रहा है। ए.आई. अब रोबोटिक सर्जरी के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें रोबोट विशेषज्ञ चिकित्सकों को सहायता प्रदान करते हुए अधिक सुरक्षित और सटीक सर्जरी करते हैं। ए.आई. के विकास से रोगों की पहचान में भी सुधार हुआ है। ए.आई. आधारित सिस्टम, बीमारियों के लक्षणों का विश्लेषण करके उन्हें पहचानने में मदद करता है और सही उपचार की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अग्रसर होने से संचार क्षेत्र में भी क्रांति हुई है। हम में से कई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ए.आई. के उपयोग का अनुभव किया होगा। ए.आई. एल्गोरिदम समय-समय पर हमारी पसंद और रुचियों का विश्लेषण करते हैं और हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्रियाँ और सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ए.आई. के माध्यम से वाणिज्यिक संदेशों और ईमेल के आधार पर उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत विज्ञापन प्रदान किए जाते हैं। यह सभी ए.आई. प्रणालियाँ उपयोगकर्ता का अनुभव व्यक्तिगत और अद्यतित बनाने का लक्ष्य रखती हैं।

ए.आई. के अग्रसर होने के साथ, आगे चलकर हम ए.आई. का और अधिक प्रयोग देखेंगे। ऐसी संभावना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके घर को भी स्मार्ट बना सकती है। आपके घर के इंटीरियर कंट्रोल सिस्टम, गर्मी और बिजली के खपत को नियंत्रित करने वाले सिस्टम और अलार्म सिस्टम आदि में ए.आई. का उपयोग किया जा सकता है। इससे आपको सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा की बचत में सुधार हो सकती है।

हालांकि, ए.आई. के अनगिनत लाभ हैं और इसके उत्थान ने समाज में एक नई क्रांति का संचार किया है, पर भविष्य में मानव समाज को इससे संबंधित चुनौतियों का भी समाना करना होगा। वास्तव में, वर्तमान में भी

हमारा समाज ए.आई. के सकरात्मक और नकरात्मक पहलुओं को आए दिन महसूस कर रहा है। ए.आई. का सबसे गहरा प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में हो रहा है। ए.आई. के अग्रसर होने से नौकरियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में ए.आई. ने कार्यरत मानव को प्रतिस्थापित किया है। ऑटोमेशन कई नौकरियों को लील जा रहा है। आय दिन हमें एमाजॉन, एप्पल आई.एन.सी., इन्फोसिस, वालमार्ट, मेटा जैसी बड़ी कंपनियों में हजारों की संख्या में छटनी की खबर मिलती है, जिनका मुख्य कारण ओटोमेशन और ए.आई. है। ओटोमेशन प्रोग्राम्स और रोबोट्स मानव संसाधन की अपेक्षा कम लागत में 24 घंटे काम कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य में त्रुटियों की गुंजाइश भी नहीं होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 45 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगले पाँच साल में लगभग 8.03 करोड़ नौकरियाँ ए.आई. के कारण खत्म हो जाएंगी, वहीं ए.आई. से संबंधित 6.7 करोड़ नौकरियाँ आस्तित्व में आएंगी। इस मामले में गोल्डमैन सैक्स ने भी इस वर्ष ए.आई. के उत्थान से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। निवेश बैंक का अनुमान है कि इस तेजी से बढ़ती तकनीक पर अगर लगाम नहीं लगाया जाए तो 2023 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में लगभग 30 करोड़ नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। हालांकि ए.आई. के कारण रोजगार के कुछ नई संभावनाओं की उत्पत्ति भी हुई है जैसे ए.आई. विकसित करना और इसे संभालना या रखरखाव करने, लेकिन ए.आई. से संबंधित इन नौकरियों के लिए उच्च तकनीकी कौशल और रचनात्मकता की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि जिन पेशों में स्नातक डिग्री और कॉलेज के बाद के अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वे भी ए.आई. विस्थापन के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हैं। कुल मिलाकर ए.आई. से रोजगार जगत में काफी क्षति होने की संभावना है। भारत जैसा विकासशील देश, जहाँ कंप्यूटर साक्षरता बेहद कम है, ए.आई. एक गंभीर खतरा बन कर उभर रहा है।

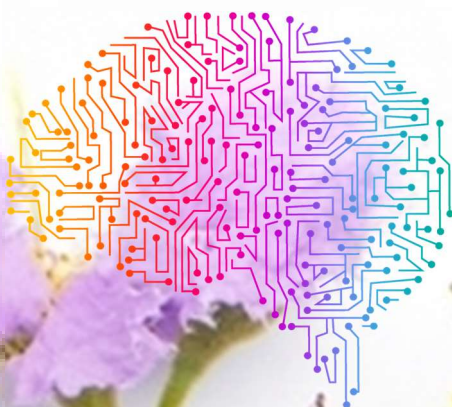
इसके साथ ही, ए.आई. के संबंध में नैतिक तत्वों को ध्यान में रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए.आई. प्रणालियों के डेटा से सीखने और पैटर्न और एल्गोरिदम पर आधारित निर्णय या पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है। हालांकि, इस निर्णयों की नैतिक परिणामों को हमेशा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदम मानव सामाजिक पक्षपात, जैसे जाति या लिंग के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, जिससे समाज के अलग-अलग समूहों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर प्रभावी है जिनमें लाखों लोग जुड़े होते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ए.आई. का उपयोग सोशल मीडिया पर जनमत के हेरफेर में किया जा सकता है। इस तरह की हेरफेर से लोगों के विचारों, मतों और निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है और उन्हें वांछित परिणामों तक ले जाने में मदद मिल सकती है। यह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से फैलाया जा सकता है जिसमें संदेशों, ट्रेंडों और समाचार के प्रभाव में वृद्धि करके लोगों के मतों को प्रभावित किया जाता है। अमेरिका के पिछले दो राष्ट्रपतियों के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप फेसबुक पर लगा है। इसके मद्देनजर, नैतिक मानदंडों और निगरानी की महत्वपूर्णता को मजबूती से ध्यान में रखना आवश्यक है।

इसके अलावा ए.आई. टूल चैटजीपीटी आजकल विशेष सुर्खिया बटोर रहा है, जिसका इस्तेमाल निबंध, कविताएं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स या किसी अन्य विषय के समस्याओं का हल निकालने या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में हो रहा है। जापान के विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा इसे उपयोग में प्रतिबंध तक लगा दी गई है। चैटजीपीटी की लोकप्रियता का आलम यह है कि इसने मात्र 2 महीने में 10 करोड़ उपभोक्ता जोड़ कर सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऐप का कीर्तिमान स्थापित किया है।

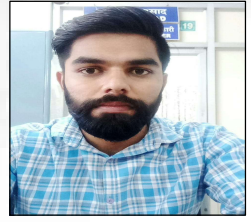
ए.आई. से जुड़ा, अन्य बड़ा खतरा गोपनीयता के अधिकारों से संबंधित है। इन प्रणालियों के साथ जुड़े डेटा की संरक्षण, अनधिकृत पहुंच और अनुचित उपयोग से निपटने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए फेशियल रिकोगनिशन (चेहरे की पहचान तकनीक) का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के गतिविधियों, संबंधों और राजनितिक विचारों पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। चीन स्मार्ट शहरों में अपनी आबादी पर नज़र रखने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करता आ रहा है, खासकर अल्पसंख्यक आबादी पर इस तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा रहा है, जिस पर बीजिंग पर लंबे समय से अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ए.आई. सिस्टम अक्सर सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा पर भरोसा करते हैं, ऐसे डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण चिंता पैदा करता है। इन प्रणालियों के साथ जुड़े डेटा की संरक्षण, अनधिकृत पहुंच और अनुचित उपयोग से निपटने की आवश्यकता होती है। ए.आई. सिस्टम को हैकिंग, डेटा चोरी, आतंकवादी हमले और निजी जीवन की उलझनों से बचाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और कानूनी फ्रेमवर्क के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए।

संक्षेप में कहें तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिग्गज तकनीक है जो वर्तमान में तेजी से विकसित हो रही है। जिसका भविष्य अपार संभावनाएं और मुश्किलें लेकर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावित उपयोगिता समय के साथ बढ़ती जा रही है, और हमें इसके साथ जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना होगा। हमें तकनीकी और नैतिक मामलों को संतुलित रखने की आवश्यकता है। हमें इसे इतने प्रभावशाली बनाने की जरूरत है कि यह मानवीय उन्नति और समाज के लाभ के लिए कार्य करे। नैतिक मानदंडों, गोपनीयता की सुरक्षा, न्यायसंगतता, न्यायिक नियमों और सरकारी नियंत्रण के माध्यम से हमें सुनिश्चित करना होगा कि ए.आई. मानवता के हित में विचार करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वरूप पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हुए यह महत्वपूर्ण होगा कि हम इसकी नैतिक और मानवीय सीमाओं को सुनिश्चित करें। हमें यह समझना होगा कि यह एक उपकरण है, जो हमारी मदद करने के लिए है और उसे एक तरंगवादी और समर्पित मानव समाज के लिए स्थापित करना होगा। ए.आई. के विकास और उपयोग के साथ, हमें निरंतर प्रयत्न करना होगा कि यह तकनीक मानवता के लाभ के लिए विकसित हो न कि आधारभूत मानवीय अधिकारों का हनन करने के लिए। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मानवता के हित में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि यह हमारे समाज और संप्रदायों के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें इस क्रम में सबके सहयोग और साझेदारी की जरूरत होगी, जिसमें वैज्ञानिक, नैतिक, न्यायिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ सामान्य जनता भी शामिल हो।



डॉ. अब्दुल कलाम



श्री. अनिल कुमार
डी.ई.ओ. ग्रेड-बी

कौन जानता था कि जैनुलाब्दीन नाम के एक तमिल मुस्लिम मछुआरे के घर जन्मा बालक एक दिन विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का मिसाइलमैन बन जाएगा, कभी देश की सेना में पाइलट बनने का सपना देखने वाला इंसान पायलट न बन पाने पर भी देशप्रेम भी भावना को दिल में रखकर अपने अडिग और कर्मठ चेष्टा-भाव से एक दिन उसी देश के तीनों सेना का सर्वोसर्वा बन जाएगा। जी हाँ आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हम यहां बात 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी गाँव में जन्मे भारत रत्न, महान वैज्ञानिक भूतपूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम (डॉ अब्दुल कलाम) की ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक तफर अपने सादे जीवन और उच्च विचार से देशवासियों में देशप्रेम की भावना, कभी परिस्थितियों को दोष न दे कर कर्तव्यनिष्ठ बनने की शिक्षा दी तो वहीं दूसरी तरफ देश को परमाणु महाशक्ति के रूप में स्थापित कर के देश के दुश्मन के रूप में साम्राज्यवादी चीन और नापाक पाकिस्तान के नापाक मनसुबों को पश्त करके उन्हे सबक सिखाया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आधुनिक भारत के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए अथक प्रयास किए, भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए परमाणु परीक्षण कार्यक्रम की सफलता उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. कलाम जी का पूरा जीवन संघर्ष की एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जहां हारना या रूकना जैसा कोई शब्द ही नहीं है, उनके व्यक्तित्व का आंकलन उनके ही कहे शब्दों से लगाया जा सकता है जब वह कहते थे कि - इंताजार करने वालो को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उनकी इसी सोच ने उनकी सांसे थनमे तक उनके कदमों को न थमने दिया। वह सपने देखने में नहीं बल्कि देखे गए सपने को पूरा करने में विश्वास रखते थे, उनके कथानुसार - सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही न आने दे। इसलिए तो कभी देश की सेना में फाइटर फायलट बनने का ख्वाव लिए कलाम जी ने बी.एस.सी. शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन सपने को पूरा करने के लिए आंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने चले गए। परन्तु वक्त और किस्मत को डॉ. कलाम से कुछ ज्यादा ही चाहिए था लिहाजा पायलट तो नहीं बन पाए पर डी.आर.डी.ओ. में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभालने लगे और वही से भारतीय सेना के लिए हथियार कि डिजायनिंग से लेकर निर्मित करने तक के कार्य में जी-जान से जूट गए। करीब ग्यारह साल बाद कलाम जी ने इसरो का रुख किया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में एसएलवी-III के तौर पर उस पहले सैटेलाइट लॉच वेहिकल को बना डाला जिसका डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी था। हालांकि 1982 में इन्होंने फिर से भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास में प्रवेश लिया और कई उपग्रह प्रक्षेपण योजनाओं में सफलता प्राप्त की। डॉ. कलाम ने योजना महानिदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (रोहिनी) का निर्माण करवाया और जुलाई 1982 में रोहिनी उपग्रह गर्जना भरते हुए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो कर पहली सफलता की नींव बनी। डॉ. कलाम के निर्देशन में अग्नि, पृथ्वी से लेकर कई अन्य गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ

और इस परीक्षण कार्यक्रमों के कारण ही ये भारत के मिसाइलमैन बन गए। इनता ही नहीं इस कड़ी में इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब यह राष्ट्र के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर के भारत को परमाणु हथियार में विश्व के कुछ चुनिंदा देशों की सूची में ला कर खड़ा कर दिया।

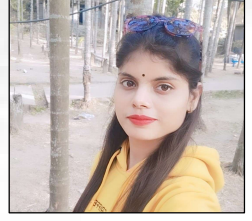
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अब तक राजनीति से दूर थे, कभी भी राजनीति में अपना समर्थन नहीं दिया फिर भी वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के ग्यारहवें राष्ट्रपति प्रार्थी के रूप में भारी बहुमत से राष्ट्र के पहले नागरिक के पद पर विराजमान हुए और देश की अपने बुद्धि और राष्ट्र प्रेम की भावना से सेवा की। यह भारतीय राजनीति के निःसंदेह ही ऐसे पहले चेहरे थे जिन्हें पक्ष के साथ - साथ विपक्ष से भी स्नेह, सम्मान और समर्थन मिलता रहा। उनके सादगी का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहने के दौरान महामहिम पद की उपाधि ग्रहण नहीं की। देश में राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्व को निभाते हुए 25 जुलाई 2007 को सेवानिवृत्त तो हो गए पर सेवा का भाव तब भी नहीं छोड़ा और सेवानिवृत्ति के पश्चात तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति बन गए और वहां विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए अपने ज्ञान से भारत के अगले भविष्य को गढ़ने लगे।

यही नहीं डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि यदि इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो पढ़ने लायक लिखना चाहिए या फिर लिखने लायक काम करना चाहिए। पर डॉ. कलाम ने अपने जिंदा रहने की केवल एक वजह नहीं बल्कि दोनो वजह दे दिए और अपनी आत्मकथा विंग ऑफ फायर भी देश को समर्पित कर दिया।

डॉ. अब्दुल कलाम को उनके अद्वितीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइन्स से लेकर हुवर, वीर सावरकर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के साथ - साथ भारत रत्न (1997) से भी सम्मानित किया गया। डॉ. अब्दुल कलाम का जीवन सदैव ही आगे बढ़ने और हर परिस्थिति में जूझारू बने रहने की प्रेरणा देती रही है। जुलाई 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग में अपने भाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और वहीं भारत रत्न मिसाइलमैन की जीवनयात्रा थमी और वहीं से डॉ. अब्दुल कलाम देशवासियों के दिलों में अमर हो गए।



निर्वासित



सुश्री श्वेता तिवारी
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

नहीं टिकता है वह
एक जगह
नहीं कोई ठिकाना है
इस पूरी दुनिया में
उसका
अपना न कोई,
न कोई अनजाना है।
लगते तो सभी अपने से
पर,
न किसी ने उसे अपनाना है
अनिच्छा से परदेशी बनना
यह ऐसा कर्मयुग जमाना है।
दुनिया की नीति जाने बिना
घर छोड़ वह निकलता है
कई आकांक्षाएँ हैं आँखों में
उसके चेहरे से साफ झलकता है।
घर की जरूरतें
और उसके सपने
रैन-दिन उसे जगाते हैं
निवास स्थल त्याग वे
सुदूर कहीं उड़ जाते हैं।
घोसले का पक्षी, माँ का बेटा
इसी श्रेणी में आते हैं
इस लिए हर युग में
ये निर्वासित कहलाते हैं।



पानी खत्म होने को है



सुश्री श्वेता तिवारी
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

वह अधेड़ दौड़ा
जैसे एक बाप टटके
पैसे कमाने दौड़ता है,
एक फौजी
अपना देश बचाने दौड़ता है।
नल बंद किया,
गर्व हुआ यह सोच कर
अपनी भावी पीढ़ी के लिए
उसने थोड़ा पानी बचाया है।
क्योंकि सुबह ही सुना था
एक रईस से
समाचार पढ़ते हुए-
“पानी खत्म होने को है”
जिसने नल चालू छोड़ा है।



स्वतंत्र भारत का 76वां वर्ष: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता



श्री कुलदीप पपनै
लेखापरीक्षक

15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत की नींव उखाड़कर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, हालाँकि इस आजादी के साथ-साथ देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा, लेकिन अब भारत को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं। इन बीते दशकों में भारत ने विकास के कई अहम पड़ाव पार किए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने हर क्षेत्र में विकास के पथ पर अपने छोटे-छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। बीते कुछ वर्षों में भारत हर क्षेत्र में विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, अब भारत हर रोज आत्मनिर्भर होने की तरफ छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदम बढ़ा रहा है।

भारत ने हालाँकि इन 76 सालों में हर क्षेत्र में काफी विकास किया है, भारत ने बैलगाड़ी से लेकर चन्द्रयान-3 तक का सफर अकेले अपने दम पर तय किया है। नए-नए आविष्कारों, खोजों और तकनीकी विकास से भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व समुदाय भारत की तरफ बड़े उम्मीद व आशा भरी नजरों से देखता है। आजादी के बाद भारत तेजी से विश्व शक्ति बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से कई बदलाव भी हुए हैं।

अंतरिक्ष में लंबी छलांग:- भारत ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाई है। 19 अप्रैल 1975, इसरो ने अंतरिक्ष युग की दुनिया में प्रवेश कर एक अभूतपूर्व कीर्तिमान रचा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के पहले 360 किलोग्राम वजन की उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा था। लेकिन आज जहाँ एक ओर भारत अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह स्थापित कर सैटेलाइट की दौड़ में अपना अग्रणी स्थान बनाया है, वहीं दूसरी ओर चन्द्रयान-3 के सहारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है। यही नहीं मंगल ग्रह का पहला मिशन नवंबर 2013 में लांच किया गया था, जो सफलतापूर्वक 24 सितंबर 2014 को ग्रह की कक्षा में पहुँच गया। इसके अलावा और कई उपलब्धियाँ भी भारतीय अंतरिक्ष विभाग व वैज्ञानिकों के खाते में दर्ज हैं।

संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति:- भारत ने संचार के क्षेत्र में बीते दशकों में महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी प्रगति की है। गांव-गांव तक इंटरनेट व स्मार्टफोन पहुँच चुके हैं। अब भारत एक छोटा सा गांव भी पूरे विश्व से जुड़ गया है। भारत में सबसे सस्ती दरों पर वायरलेस टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध की जाती है।

भार में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से लोग हर सुविधा व जानकारी घर बैठे-बैठे ले सकते हैं, चाहे वो किसी सरकारी योजना की जानकारी हो या किसी अन्य विषय पर, बिजली पानी का बिल का भुगतान अब लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, जिसके लिए पहले हम घंटों लाइन में लगा करते थे, अब ऑनलाइन ही कर सकते हैं।

स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना:- भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, नए-नए इनोवेटिव आइडिया के जरिए नए-नए व्यवसायों को स्थापित करना, इसके लिए युवाओं को अच्छी-खासी सहायता भी दी जा रही है। ताकि युवा अपने देश में ही रह कर अपने उद्योग धंधों की स्थापित करें। भारत में रोजगार पैदा हो सके और अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो, ताकि हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

तकनीकी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता:- अभी हाल ही में भारत की रेल पटरी पर भारत में निर्मित बंदे भारत एक्सप्रेस ने फरटि से दौड़ लगाई यह रेल पूरी तरह से भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई पूर्ण रूप से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित थी। इसके अलावा भारत ने आई.टी. के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करे पूरे विश्व को चकित कर दिया।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत:- भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना चुका है। आजादी के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। उत्पादन के मामले में भारत ने कई देशों के पीछे छोड़ दिया है। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीनी का यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत पशुधन के मामले में भी संपन्न राष्ट्र है जिस कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन उत्पादक भी है।

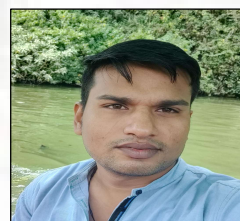
सैन्य शक्ति का विस्तार:- भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व विस्तार किया है, अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों के साथ-साथ राफेल से भी हमारी सेना सुसज्जित हो गई है दुनिया की सबसे तेज क्रुज मिसाइल ब्रह्मोस को सैन्य रक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है जिसे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।

निर्माण क्षेत्र पर आत्मनिर्भर:- हाल ही के कुछ वर्षों में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ये सब भारत के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही उठाए गए हैं। भारत ने सबसे कम कीमत वाली नैनो कार बनाई, विश्व का सबसे बड़ा दुपहिया वाहनों का उत्पादक देश भारत ही है। भारत की गिनती अब दुनिया के औद्योगिक देशों की क्षेणी में की जाती है। सड़कों, बंदरगाहों के अलावा विश्वस्तरीय निर्माणों में भी भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है।

अतः निष्कर्षता कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक की भारत की विकास यात्रा शानदार रही है। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक संचार क्रांति से लेकर ट्रेन बनाने तक हर काम में भारत धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है, नित नए-नए आविष्कारों और तकनीकी विकास को जन्म दे, भारत ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक ओर जहाँ भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए अभूतपूर्व विकास का मार्ग अपनाया वही दूसरी ओर भारत अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए आदर्शों मूल्यों संस्कारों, समृद्ध परम्पराओं को भी साथ लेकर चला है। अतः भारत की सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता की यात्रा सराहनीय रही है।



लघु कथाएँ



श्री. रवि कुमार II
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

राजशाही ठाँठ

भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को ब्रिटेन लौटने पर सार्वजनिक पद नहीं दी जाती थी। तर्क यह था कि उन्होंने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है जिसकी वजह से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में फर्क आ गया होगा। अगर उनको यहाँ ऐसी जिम्मेदारी दी जाए, तो वह आजाद ब्रिटिश नागरिकों के साथ भी उसी तरह से ही व्यवहार करेंगे। इसी बात को गहराई से समझने के लिए एक बाकया प्रचलित है। जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और पाकिस्तान में एक सिविल सेवा अधिकारी की पत्नी एक ब्रिटिश महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए, जिस पर उसने अपने संस्मरणों पर आधारित एक सुंदर पुस्तक लिखी।

महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कलेक्टर थे तो मेरा बेटा करीब चार साल का था और मेरी बेटी एक साल की। डिप्टी कलेक्टर कई एकड़ में बनी एक हवेली में रहते थे। सैकड़ों लोग डिप्टी कलेक्टर साहब के घर और परिवार की सेवा में लगे रहते थे। हर दिन पार्टियां होती थी, जिले के बड़े जमींदार भी हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने पर गर्व महसूस करते थे, हमारा उनके यहां जाना भी सम्मान से कम न था। हमारी शान और शौकत ऐसी थी कि ब्रिटेन में महारानी और शाही परिवार में भी मुश्किल से मिलती होगी।

ट्रेन यात्रा के दौरान डिप्टी कलेक्टर के परिवार के लिए नवाबी ठाट से युक्त आलीशान कंपार्टमेंट आरक्षित किया जाता था। जब हम ट्रेन पर चढ़ते तो सफेद कपड़े यूनिफार्म में ड्राइवर दोनों हाथ बांधकर हमारे सामने खड़ा हो जाता और यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेन चलती। एक बार मेरे बेटे का मन उदास था और हम यात्रा के लिए ट्रेन पर सवार थे, तो परंपरा के अनुसार, ड्राइवर आया और अनुमति मांगी। इसके पहले मैं कुछ बोल पाती मेरे बेटे ने मना कर दिया। ड्राइवर ने हुक्म बजाते हुए कहा - जो हुक्म छोटे सरकार। कुछ देर बार स्टेशन मास्टर समेत पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गए और मेरे चार साल के बेटे के मानाने लगे, लेकिन उन्हें भी ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। आखिरकार, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी करावाय और यात्रा शुरू हुई।

कुछ महीने बाद, वह महिला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलन ब्रिटेन लौटी, पहले वह जहाज से लंदन और फिर ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह महिला स्टेशन पर एक बेंच पर अपनी बेटी और बेटे को बैठाकर टिकट लेने चली गई। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला का बेटा बहुत परेशान हो गया। जब वह ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपार्टमेंट की जगह फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर उस बच्चे को फिर से गुस्सा आ गया।

ट्रेन ने समय पर यात्रा शुरू की तो वह बच्चा लगातार चीखने चिल्लाने लगा। वह जोर - जोर से कह रहा था, यह कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है। उसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। मैं पापा से बोलकर इसे जूते लगवाऊंगा। महिला को उसे यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि यह उसके पिता का जिला नहीं, एक

स्वतंत्र देश है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर जैसी तीसरे दर्जे का सरकारी अफसर तो क्या देश का प्रधानमंत्री और राजा को भी यह अख्तियार नहीं है कि वह लोगों को अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपमानित कर सकें।

आज भले ही हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है लेकिन हमने गुलामी को अभी तक देश बदर नहीं किया। आज भी कई अधिकारी, एस.पी., मंत्री, सलाहकार और राजनेता अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आम लोगों को घंटों सड़कों पर परेशान करते हैं।

पहलवान और कंडक्टर

एकबार एक खुब लंबा तगड़ा पहलवान बस पर चढ़ा

कंडक्टर :- भाई साहब ! टिकट ?

पहलवान:- हम टिकट नहीं लेते।

कंडक्टर डर के मारे कुछ नहीं कर सका लेकिन कंडक्टर ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया। अगले दिन से कंडक्टर भी जिम जा कर खूब मेहनत करने लगा।

इस बीच पहलवान रोज बस पर चढ़ता।

कंडक्टर रोज पूछता :- भाई साहब ! टिकट ?

पहलवान रोज जवाब देता:- हम टिकट नहीं लेते।

कंडक्टर की रातों की नींद उड़ गई...उसका खून खौल उठा..

लगातार पांच महीने तक कंडक्टर जीम में कसरत करने के बाद पहलवान की तरह तगड़ा हो गया।

फिर एक दिन पहलवान फिर से बस पर चढ़ा।

कंडक्टर :- भाई..! टिकट ले लो।

पहलवान:- हम टिकट नहीं लेते।

कंडक्टर छाती चौड़ी करके बोला :- बस क्या तेरे बाप की ?....क्यों नहीं लेता बे टिकट ?..उठाकर बस से बाहर फेंक दूंगा।

पहलवान :- पास बना रखी है इसलिए नहीं लेता मैं टिकट। गुस्सा क्यों करते हो भाई ?

कुछ बातों के दिल पर नहीं लेना चाहिए और हर छोटी मोटी चीजों को आत्मसम्मान का विषय बनाना समझदारी नहीं है।



गिद्ध और छोटी लड़की

कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरें बोलती हैं, बस ऐसा फोटोग्राफर चाहिए जो उन्हें बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही प्रतिभावान फोटोग्राफर थे केविन कार्टर। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक युवा फोटोग्राफर थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में कई ऐसी तस्वीरें खींचीं जिसने इतिहास रच दिया। उनकी एक तस्वीर ने खुब सुर्खिया बटोरी और उन्हें दुनिया के महान फोटोग्राफर्स में सम्मिलित कर दिया, पुरस्कार दिलवाए, पर उतनी ही ज्यादा विवादित भी रहीं। इस फोटो को खींचने के बाद केविन इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। “The Vulture and the Little Girl” (गिद्ध और छोटी लड़की) के नाम से प्रसिद्ध इस फोटो को केविन कार्टर ने मार्च 1993 में खींचा था। फोटो सुडान की थी जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते पर गिर जाती है और उसके पीछे एक गिद्ध घात लगाए बैठा हुआ होता है। फोटो को देखकर ये अर्थ निकाला जा सकता है कि गिद्ध उस बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है, जिससे वो उसे खा सके। तस्वीर खींचने के कुछ वक्त बाद ये पता चला कि वो लड़की नहीं, बल्कि कॉन्ग न्यांग नाम का एक लड़का था।

26 मार्च 1993 को अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फोटो के एक लेख के साथ छापा। इस फोटो को देखकर लोग इतना विचलित हुए कि अखबार के दफ्तर में फोन कर ये पूछने लगे कि बच्ची की हालत कैसी है और बच पाई या नहीं। बहुत से लोग फोटोग्राफर कोविन के दोष देने लगे। उनका कहना था कि केविन ने नैतिकता नहीं दिखाई, वो सिर्फ अच्छी फोटो निकालना चाहते थे, उन्होंने बच्ची को नहीं बचाया। लोग केविन को वहां मौजूद दूसरा गिद्ध कहने लगे। ये सब बातें सुनकर केविन के बहुत धक्का लगा।

दूसरी ओर इस फोटो ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और अफ्रीका में भूखमरी की स्थिति का खुलासा कर दिया। अगले साल यानी 1994 में केविन को इसी फोटो के लिए विश्व विख्यात पुलित्जर पुरस्कार मिला। उनकी ख्याति देश-विदेश में हो गई। उसी बीच साउथ अफ्रीका में हुई एक हिंसा में केविन अपने दोस्त केन ओस्टरब्रोक के साथ स्टोरी कवर करने गए थे, जिसमें केन की मौत हो गई। फोटो की आलोचना अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि दोस्त की मौत के बारे में सुनकर केविन पूरी तरह से टूट गए। दो-दो आघात केविन झेल नहीं पाए और 27 जुलाई 1994 को उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नदी के किनारे जीवन का अंत कर लिया। वे अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गए जिसमें उन्होंने लिखा – “मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। जीवन का दर्द आनंद के इस हद तक खत्म कर देता है कि फिर जीवन में आनंद का नाम-ओं-निशान नहीं रहता। मैं अवसादग्रस्त हूँ, बिना फोन के हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, किराये के लिए पैसे नहीं हैं। हर चीज के लिए जीवन में सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे लाशों, हत्याओं, गुस्से, दर्द, भूखे बच्चों की यादों ने घेरा हुआ है और मुझे डरा रहीं हैं। अगर मैं भाग्यशाली हुआ तो मैं केन से फिस मिलूंगा।”

आपको बता दें कि काफी वक्त बाद पता चला कि केविन द्वारा खींची गई फोटो में जो कॉन्ग न्यांग नाम का लड़का था, वो भूखमरी से बच गया था और कई साल बाद, 2008 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई।



प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना



श्री. दिनेशचन्द्र मीना
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

भारतीय भूमि को अगर शस्य श्यामला कहा जाता है तो इसकी बड़ी बजह इसकी शस्य यानि कृषि संस्कृति रही है। दुर्भाग्यवश उदारीकरण के बठते कदम और कार्पोटिकरण के वर्चस्व को दौर में खेती लगातार पीछे रह गई। वर्ष 2012 में आकंडो के मुताबिक भारतीय जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) में खेती की हिस्सेदारी 13.7 फिसदी बढ़ी है जबकि उप पर देश की सबसे ज्यादा करीब 65 फिसदी अबादी का बोझ है। लेकिन भारत की अधिसंख्य खेती आकाशीय वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसून सही नहीं रहा तो खेती किसानी पूरी तरह से चौपट तक हो जाती है। रही-सही कसर ओलावृष्टि, बाढ़ आदि प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं पूरी कर देती है। इससे अक्सर किसानों की हालत पस्त होती है। छोटे और मझोले किसानों के सामने रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं।

इसे लेकर देश में अरसे से एक मुकम्मल फसल बीमा योजना की जरूरत जताई जा रही थी। सप्रग (UPA) की अगुआई वाली सरकार एक फसल बीमा योजना लेकर आई लेकिन उसका प्रीमियम इतना ज्यादा होता था कि किसान बीमा कराने के बजाय बीमा न कराना ही उचित समझते थे। वर्ष 2014 के आम चुनावों के दौरान राजग (NDA) पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र पेश किया था। उसमें किसानों के लिए मुकम्मल फसल बीमा योजना लागू करने का वादा किया। सत्ता संभालने के डेढ साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपान वादा निभाया और 13 जनवरी 2016 को नई फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके दिशा-निर्देशों के डिजीटल रूप का 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्म भूमि मध्य प्रदेश के महु से शूभारंभ किया।

सरकार को उच्च कृषि उत्पादन और कृषि क्षेत्र में समुदायिक रोजगार की भी चुनौतियां रही है। इस बात की बहुत पहले से ही आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि किसानों के कल्याण खेतिहार समुदाय के लिए जोखिम प्रबंधन और सुखे, बाढ़ तथा ओलावृष्टि के दौरान फसल बीमा संबंधि समस्याओं के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया जाए, जिसके तहत इन चुनौतियों से निपटने में आसानी हो। इसी के तहत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन संबद्ध योजनाएं पीड़ीत आबादी के लिए राहत उपाय तथा इस सब को दूरगामी लक्ष्य के तहत एकीकृत करने संबंधी कार्यवाही शामिल है। फसल बीमा योजना इसी के संदर्भ में देखी जा रही है। इस योजना के तहत सरकार प्रति वर्ष 8 से 9 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के तहत किसानों को प्रीमियम खाद्यान्न और तिलहन के लिए नियत राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत देना होगा। इसी तरह बागवानी और कपास की फसल के लिए यह प्रीमियम 5 प्रतिशत है। इस बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मौजूदा वर्ष के खरीफ फसल के मौसम से शुरू की गई। गावों से जुड़ी योजनाओं को लेकर नीजी बीमा कंपनियां उत्साह नहीं दिखा रही हैं, लेकिन इस नई योजना को निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां भी चलाएंगी। सरकार के इस कदम से मानसून के उतार-चठाव से होने वाली प्रभावों से किसानों की सुरक्षा करने के लिए बीमा दायरे में अब अधिक रकम रखा गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य देशों में भी इसी प्रकार की योजनाएं चलती है। इस योजना के मुताबिक रबी फसल के लिए किसानों के बीमित

रूप की रकम प्रति प्रीमियम पिछली 8 से 10 प्रतिशत के दर के मुकाबले 1.5 प्रतिशत रखा गया है। वर्ष भर चलने वाली नकदी फसल और बागवानी फसल के मद्देनजर इसकी अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बीमा योजनाओं की तरह इस योजना के तहत प्रीमियम पर कोई सेवा कर नहीं देना होगा। सरकार ने दावा किया है कि इस योजना से बीमा प्रीमियम में किसानों के लिए लगभग 75-80 प्रतिशत की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पांच वर्षों से विभिन्न प्रकार की आपदा राहत उपायों के तहत सरकार प्रति वर्ष लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार के इस नए प्रयास से यह खर्च अस्थायी रूप से लगभग 9 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा। जोखिम के संबंध में इससे खास तौर पर किसानों को बहुत मदद मिलेगी। नई योजना के मौजूदा योजनाओं के कामयाब पक्षों को शामिल किया गया है और पुरानी योजनाओं में जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। इस योजना को मंजूरी देने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि योजना में सबसे कम प्रीमियम रखा गया है और मोबाइल फोन से क्षति का तुरंत आकलन तथा तय सीमा के अंदर भूगतान जैसी प्रौद्योगिकी के आसान प्रयोग भी शामिल किए गए हैं। बीमा के दायरे में फसल बीमा रक्षा 1944 लाख हेक्टेयर रखा गया है और इसके लिए सरकार को प्रतिवर्ष 8800 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि फसल बीमा योजना के लिए उच्च सब्सिडी दर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के बीमा के दायरे में 1200 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रखा गया है, जिसके लिए लगभग 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। चीन में भी किसानों को बुआई संबंधी 750 लाख हेक्टेयर तक के दायरे में बीमा दिया जाता है। जिसके लिए प्रीमियम पर लगभग 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इन संदर्भों में भारत में 5 वर्षों के दौरान योजना के दायरे में फसली क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा लाने की तैयारी है। नई फसल बीमा योजना को भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्र-एक योजना के नारे के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई है। इस योजना में बीमा धारकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि खेतों में खड़ी फसल को होने वाले नुकसान से बचाने का प्रावधान भी किया गया है। इस तरह खड़ी फसलों को न रोके जा सकने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। इसमें स्वाभाविक आगजनी, बिजली गिरने, तुफान-आंधी, ओलावृष्टि, बवंडर, बाढ़, जल-भराई, भू-स्खलन, सुखा, कीटाणु, फसल रोग आदि जैसे जोखिम शामिल हैं। इसी तरह अन्य मामलों में जहाँ अधिसूचित क्षेत्रों के बीमित ज्यादातर किसान खराब मौसमी हालत के चलते बुआई पर अधिक खर्च करना पड़ता है, लेकिन नई योजना में किसानों को यह अधिकारी दिया गया है कि वे बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत हर्जाने का दावा कर सकें, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी बीमित दायरे में रखा गया है। इसके लिए फसलों की कटाई के बाद सुखने के लिए मैदान में रखने के संबंध में अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए यह बीमा उपलब्ध किया जाएगा। बीमा योजना के दायरे में उन अधिसूचित स्थानों की फसलों को भी रखा गया है जिन स्थानों पर आंधी-तूफान, भू-स्खलन आदि जैसे जोखिम स्थानीय स्तर पर होते रहते हैं।

इसके आलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार की सब्सिडी में कोई उच्च सीमा नहीं होगी। यदि बकाया प्रीमियम 90 प्रतिशत भी होगा तो उसे सरकार वहन करेगी। इसके पहले प्रीमियम दरों पर अधिकतम सीमा का प्रावधान था, जिसके कारण किसानों को कम भुगतान हो पाता था। यह अधिकतम सीमा सरकार की प्रीमियम सब्सिडी की सीमा के मद्देनजर निर्धारित की गई थी। अब इस अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है और किसानों को बीमित रकम का पूरा हिस्सा बिना किसी कटौती के प्राप्त होगा। नई योजना में प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाएगा। अधिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्मार्ट फोनो के जरिए फसल कटाई का आंकड़ा अपलोड किया जाएगा ताकि किसानों के दावे का भुगतान अविलंब किया जा सके एवं फसल कटाई प्रयोगों को कम करे के लिए संवेदी प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

मुझे चांद चाहिए



श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

मुझे चांद चाहिए
थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमान चाहिए ।

समाज की बेडिया
भी न रोक सके
एक ऐसी उड़ान चाहिए
थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमान चाहिए ।

वीरों के मजार पर
कली बन महकूं मैं
कुछ ऐसा गुमान चाहिए
थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमान चाहिए ।

सत्य को तलाशते
गुम गए जो मुशाफिर
उन कदमों के निशान चाहिए
थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमान चाहिए ।

सितारों तो ओझल
हो जाते निशा में
जो रौशन कर दे धरा
मुझे वो चाँद चाहिए ।
थोड़ी सी जमी, थोड़ा आसमान चाहिए ।



एक राष्ट्र एक चुनाव



श्री. दिनेश चंद्र मीना
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए तीन दिवसीय कांफ्रेंस का आयोजन किया था। उनका कहना था कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम सहमति नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

क्यों जरूरत है एक देश एक चुनाव की

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो हर वर्ष किसी न किसी राज्य में राज्य चुनाव होते रहते हैं। चुनावों के इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय ही प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। इन सब से बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है।

गौरतलब है कि देश में इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होते हैं किंतु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। यह देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी न खत्म होने वाली बहस की जा सकती है। लेकिन इस विचार को धरातल पर लाने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी होना जरूरी है।

इसकी पृष्ठभूमि क्या है

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1962, 1967 में भी ऐसा हो चुका है। जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-1969 में कुछ राज्यों की विधान सभायें विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं, तो अब करवाने में क्या समस्या है?

एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना था कि अब देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है तो वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किंतु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसके लिए इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क

एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है कि लगातार चुनाव के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। जिसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती हैं और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसके कारण विकास प्रभावित होता है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड आफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसके लिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सकेगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार-बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि इस देश की आर्थिक सेहत के लिए बार-बार चुनाव ठीक नहीं है।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली खर्च की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समानता भंग करने का मौका मिल जाता है, इस प्रकार अनावश्यक तनाव की स्थिति बन जाती है। एक साथ चुनाव कराए जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।

इसके पक्ष में चौथा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से सरकारी कर्मचारी और सुरक्षाबलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। आपको बता दें कि हमारे यहां चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं निर्बाध रूप से चुनाव करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चुनाव से आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है।

एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों

एक देश एक चुनाव के विरोध में विधायकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है। जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है जहां अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 365 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनैतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। यह सारी परिस्थितियां एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।

एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने जाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनाव की बारंबारता एक अकाट्य इकाई है।

एक देश एक चुनाव का तीसरा तर्क यह है कि यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा। यदि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो देंगे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव जहां राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिए होते हैं। जहाँ लोकसभा में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को प्रमुखता दी जाती है तो वहीं विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

एक देश एक चुनाव के विरोध में चौथा तर्क यह है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाना तार्किक प्रतीत नहीं होता।



कल्याण कक्ष में अच्छी गतिविधियां

अच्छा स्वास्थ्य अच्छे कामकाजी प्रदर्शन की ओर ले जाता है

-लैला गिफ्ती अकिता



कल्याण कक्ष में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का सार-संग्रह

किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों की भलाई स्वस्थ कर्मियों की ओर ले जाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि होती है।

अवलोकन

कल्याण कक्ष ने ऐसी गतिविधियों की शुरुआत और कार्यान्वयन किया था जो चेन्नई, तमिलनाडु के लेखापरीक्षा कार्यालयों में पहली बार आयोजित की गई थीं। मनोरंजक दौरे, साइकिल रैली और वॉकथॉन जैसी घटनाओं ने कर्मचारियों को काम की सांसारिक दिनचर्या से बचने और उन्हें अपने जीवन के एक मजेदार और ऊर्जावान क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित किया।

नवोन्मेषी और अच्छी प्रथाओं का कार्यान्वयन

- ❖ 27 और 28 अगस्त 2022 को येलगिरी का मनोरंजक दौरा आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों लेखापरीक्षा कार्यालयों के 263 अधिकारियों/कर्मचारियों/एम टी एस और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। यह पहली बार था जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल तक 12 बसों में ले जाया गया, सभी के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के भोजन के साथ-साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराया गया। यात्रा के दौरान नौकायन, नेचर पार्क जाना, ट्रेकिंग, तैराकी, बोनफायर, गेम्स, डीजे/करोके, जलागमपराई फॉल्स की यात्रा जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने इसका आनंद लिया और सभी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही।
- ❖ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के संबंध में कल्याण कक्ष द्वारा 29.10.22 को साइकिल रैली आयोजित की गई। रैली में चेन्नई के सभी IA&AD कार्यालयों से 100 से अधिक प्रतिभागियों और 28 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जो सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 35 कि. मी. तक चला। जिन प्रतिभागियों के पास साइकिलें नहीं थीं, उनके लिए निजी तौर पर साइकिलें किराए पर ली गईं और कई उत्साहित प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया।

- ❖ ऑडिट दिवस सप्ताह के संबंध में कल्याण कक्ष द्वारा 20.11.22 को चेन्नई के सभी IA&AD कार्यालयों के लिए वॉकथॉन आयोजित किया गया था जो पहली बार था। वॉकथॉन में लगभग 280 प्रतिभागियों और 33 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 10 बजे समाप्त हुआ जिसमें कुल 5 कि.मी. की दूरी तय की गई। आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- ❖ मुख्यालय कार्यालय ने इस कार्यालय को IA&AD (इंटर-जोनल) हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 आयोजित करने के लिए नामित किया था, जिसमें प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-I), तमिलनाडु टूर्नामेंट के संयोजक थे। टूर्नामेंट 18.04.2022 से 22.04.2022 तक आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट लीग- कम- नॉकआउट आधार पर आयोजित किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों से IA&AD की आठ टीमों ने इसमें भाग लिया था। IA&AD टूर्नामेंटों में यह पहली बार था कि 22 अप्रैल 2022 को चेन्नई में आयोजित IA&AD (इंटर जोनल) हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच का लाइव कवरेज हुआ।
- ❖ फ्लू, कोविड-19 के प्रसार को रोकने और तीनों कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जुलाई 2022, जनवरी 2023 और मार्च 2023 के महीनों में लगातार तीन दिनों में प्रतिरक्षा बूस्टर/कबसुर कुडिनीर दिलाया गया था।

निष्कर्ष

कर्मचारी की भलाई स्वस्थ कार्य वातावरण और संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है, नौकरी में संतुष्टि बढ़ाता है। मनोरंजक कार्यक्रमों की शुरुआत से कर्मचारियों को अपनी दैनिक गतिविधियों से दूर रहने और कुछ दिन खुशी और लापरवाही से बिताने में मदद मिली है, जिससे अंततः कार्यालय की खुशहाली और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

हस्ता/-

कल्याण अधिकारी(कार्य प्रभारी)









कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)-II, महाराष्ट्र
सिगल लाईन्स, नागपुर-440001
OFFICE OF
THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II MAHARASHTRA
CIVIL LINES, NAGPUR 440 001
Ph: 0712-260314 ext./ Fax: 0712-2603824
Email: agas@maharashtra.gov.in
Web: https://agaportal.maharashtra.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

रा.भा.अ./2022/जा.क्र.- 86 दिनांक : 28/11/2022

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/राजभाषा
कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I)
लेखापरीक्षा भवन, 361, अन्न सलाई,
तेलमपैठ, तमिऴनाडु,
चेन्नई - 600018

महोदय/महोदया,

हम कार्यालय में आपके कार्यालय का हिन्दी वार्षिक पत्रिका 'सुमन' के 29वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई है, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का मुख पृष्ठ व साज-सज्जा खूबसूरत व मनमोहक है। पत्रिका का बाहरी व भीतरी साज-सज्जा पत्रिका को विशिष्ट बना रहे है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाओं में रचनात्मक, सकारात्मक एवं नवीन विचारों की छवि प्रस्तुत होती है।

कार्यालय में सम्पन्न विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्रों से पत्रिका की शोभा बढ़ी है। पत्रिका के माध्यम से आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी की दशा व दिशा में सकारात्मक प्रयास परिलक्षित होंगे।

पत्रिका को सकल एवं उच्चकोटी बनाने के लिये रचनाकारों को एवं संपादक मण्डल को बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।


 वरिष्ठ लेखापरीक्षक
 राजभाषा अनुभाग

CPR-111
20/12/2022

आपके पत्र



कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)
सिगल लाईन्स, शिमला-171 003
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003
Ph: 0177-2651033 ext./ Fax: 0177-2651743
Email: agas@himachalpradesh.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

संख्या हि.अ./1(17)/21/2022-13/2021-23/437 दिनांक: 02 DEC 2022

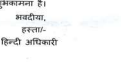
सेवा में,
हिन्दी अधिकारी,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
लेखापरीक्षा भवन, तेलमपैठ,
तमिऴनाडु,
चेन्नई-600 018

विषय:- हिन्दी वार्षिक पत्रिका 'सुमन' के 29वें अंक की अभिलेखीकरण एवं प्रतिलिपि

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'सुमन' के 29वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। सर्वप्रथम इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का आंतरण सुख आनंद है तथा सुख एवं प्रगति का अमृत है। संकल्पित समस्त लेख एवं रचनाएं सरस एवं पठनीय हैं। विशेषकर शैली तथा रचनात्मकता की वजह से पत्रिका को 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है। विशेषकर शैली तथा रचनात्मकता की वजह से पत्रिका को 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है। विशेषकर शैली तथा रचनात्मकता की वजह से पत्रिका को 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है।

पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मण्डल को बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।


 प्रधान
 हिन्दी अधिकारी

CPR-103
06/12/22



प्रधान महालेखाकार (ले व ह) हरियाणा का कार्यालय
लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5, सेक्टर 33-बी, पंचकुला-160020
टेलीफोन नं. 2610957, 2613231, 2615382 फ़ैक्स नं. 0172-2603824
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) HARYANA,
LEKHA BHAWAN, PLOT Nos. 4 & 5, SECTOR 33-B
CHANDIGARH-160 020
EPABX No.: 2610957, 2613231, 2615382 Fax No.: 0172-2603824
E mail - agas@haryana.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

हिन्दी/कक्षापरि प्रति./2022-23/265 दिनांक: 22.12.2022

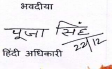
सेवा में
हिन्दी अधिकारी,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
तमिऴनाडु, चेन्नई।

महोदय,

विषय:- हिन्दी वार्षिक पत्रिका 'सुमन' के 29वें अंक के सम्बन्ध में।

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 11.10.2022 के द्वारा आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी वार्षिक ई-पत्रिका 'सुमन' के 29वें अंक की प्रति संप्रदाय प्राप्त हुई। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उच्चस्तरीय, ज्ञानपूर्ण एवं प्रशंसनीय हैं। पत्रिका में समाहित सभी लेख 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है। विशेषकर शैली तथा रचनात्मकता की वजह से पत्रिका को 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है। विशेषकर शैली तथा रचनात्मकता की वजह से पत्रिका को 'सुमन' की अभिलेखीकरण एवं पठनीय है।

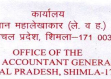
हमारे अतिरिक्त लेख 'सुमन' की कविता 'आओ चंद की कसबे में' पठनीय है। पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मण्डल को बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।


 प्र.अ. सि. 20/12
 हिन्दी अधिकारी

CPR-123
11/01/2023



कार्यालय
प्रधान महालेखाकार (ले व ह)
सिगल लाईन्स, शिमला-171 003
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 003
Ph: 0177-2651033 ext./ Fax: 0177-2651743
Email: agas@himachalpradesh.gov.in



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

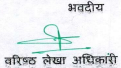
संख्या हि.अ./ले.व.ह./ पत्रिका समीक्षा / 2022-2023/168 दिनांक 09/11/2022

सेवा में,
हिन्दी अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
तमिऴनाडु

विषय:- हिन्दी वार्षिक पत्रिका 'सुमन' के 29 वें अंक का प्रेषण।

महोदय,

आपके कार्यालय की पत्रिका 'सुमन' के 29 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें प्रकाशित सभी रचनाएं उत्कृष्ट एवं ज्ञानपूर्ण हैं। हिन्दी भाषा की सुजनशीलता के उत्थान हेतु आपका प्रयास सराहनीय है जिसके लिये आपका राजभाषा परिवार बधाई का पात्र है।


 प्रधान
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी
 (हिन्दी)

CPR-112
22.12.22

मार्टन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171 003 टेलीफोन 0177-2652502/2651033, फैक्स 0177-2651743
Gorton Castle Building, Shimla-171 003 Phone: 0177-2652502/2651033, Fax: 0177-2651743
E-mail: agas@himachalpradesh.gov.in

